


अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

सदिग्ध/अवेध जमाबंदी रद्द अभिलेख सं० 55 / 19-29

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से

संबंधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
24/3/19	<p>झारखंड सरकार के आदेश-2074/रा० दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा० ग० निति-119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजलूआ खास भूमि का कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच चारम की गयी। उक्त के क्रम में उक्त राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है-</p> <p>मीजा कोलापुरा मीजा न०- 12 खाता न० 142</p> <p>प्लॉट न० 3376 रकबा 5 अड्डा की भूमि जो गैरमजलूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मीजा के पजी-11 के जिल्द संख्या 18 के पृष्ठ संख्या 3410 पर जमाबंदी रैयत श्री श्री रामचंद्र <u>शान्तनु-चौधरी</u> पिता- (कोलापुरा-चौधरी) के नाम से कायम है।</p> <p>इसका राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जाचोपरात उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना सहम प्राधिकार के आदेश के/अवेध बंदोबस्ती के आधार पर/अवेध कोठकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवेध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजि लाभ एवं जमा की क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवेध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वाछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अत- उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन पर अंचल-निरीक्षक का मतव्य प्राप्त करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक 24/3/19 को रखें।</p>	<p>शान्तनु-चौधरी</p> <p style="text-align: center;">  धनबाद। </p>

अभिलेख उपस्थापित अचल निरीक्षक से माया / प्रतिवेदन आया है।

अभिलेख दिनांक 23/4/19 को रखे।



अचल अधिकारी
धनबाद।

9/4/19

23/4/19


अभिलेख उपस्थापित। अधोहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।

अभिलेख दिनांक 2/5/19 को रखे।


अचल अधिकारी
धनबाद।

15/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 25/6/20 को रखे।



अचल अधिकारी
धनबाद।


29/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि गौजा शैलाकुल्ला गौजा नं० 172 खाता 142 प्लॉट नं० 3376 रकबा 5 कड़्डा भूमि से संबंधित है। आवंटित भूमि मत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआबाद खाते की भूमि है। जमाबंदी रखा के खोज बीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति सलमन)। आवंटित भूमि दाखिल खारिज केस नं०(.....) के अनुसार कायम है। तत्कालीन अचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पंजी को सदेहास्यद माना गया है। जिसे संबंधित उप निरीक्षक एवं अचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशसा सहित समर्पित किया

अतः जॉच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं सशोधत।


अचल अधिकारी,
धनबाद।


अचल अधिकारी
धनबाद।

अंचल अधिकारी का कार्यालय

वाद अभिलेख संख्या- 55 / 2019 (अन्तर्गत धारा-4(b), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम श्री ~~लाजपत चौधरी~~
श्री ~~दिलीप चौधरी~~

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा-~~बोला~~ धाना नं०-12 खाता नं०-142 खेसरा नं०-2376 रकबा-5 कड़ से संबंधित आपके नाम से 80 नं०-2 के पंजी-II भाग 18 के पृष्ठ 2412 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जांचोपरान्त सदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक- को समय-11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, मूलपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि:-

मुहर

अंचल अधिकारी

स्थान:-

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

4167

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रयत का नाम :- श्री शान्तनु चौधरी पि स्व. दिलीप चौधरी
 2110 - 134/ स कुल 2-215 धानवाड़

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	धाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
श्री जौपुरा	12	142	3376	5 कठ्ठा

3. जमाबंदी पंजी - II के जिल्द संख्या ... 18 पृष्ठ सं० ... 3410 पर कायम है-

4. जमाबंदी किस वर्ष से कायम है - 2007/08

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- गैर आवाद

6. किस सक्षम अधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- लगान धार्य / बन्दो वस्ती / दा० खा० मु० सं० 1.12.1
 (1) 07/08 के अनुसार जमाबंदी सं० 144 से चयनकृत आवा

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रयत का नाम :- गणेश राय

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोबस्ती -

9. संदेहास्पद जमाबंदी को जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू - हस्तांतरण पंजी

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

reel

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
01	073579	15/9/07	2007/08